रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2014/अग्रहायण 25, 1936

No. 369] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2014/AGRAHAYANA 25, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2014

फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2014.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19), की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 से लागू होंगे।

2. विनियम 4 और 5 का संशोधन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ) विनियम, 2010 में:-

(क) विनियम 4 में, दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतु जोड़ा जाएगा नामत :—

"बशर्ते कि संक्रमणकालीन दो वर्ष की विस्तारित संक्रमण अवधि पूर्ण होने के बाद अगले दो वर्ष अथवा कम अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जिसका कि बोर्ड निर्णय ले सकता है;"

(ख) विनियम 5 में, प्रथम परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतु जोड़ा जाएगा, नामत :—

"बशर्ते कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ के निर्धारण के लिए रेलवे के माल टैरिफ तालिका के अनुसार बेंचमार्क किया जाएगा जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और

पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ निर्धारण) संशोधन विनियम, 2014 के प्रवृत होने की तारीख से लागू होगा और यदि आगे विस्तारित संक्रमण अवधि में रेलवे की माल टैरिफ तालिका में संशोधन होता है तो बोर्ड विचार कर सकता है तथा उक्त संशोधन के विरुद्ध पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन टैरिफ की बेंच मार्किंग पर निर्णय ले सकता है।"

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा. /188/14(230)]

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम सं. सा.का.नि. 987(अ) दिनांक 20.12.2010 अधिसूचित तथा भारत के असाधारण राजपत्र भाग III, खण्ड 4 के तहत संशोधित अधिसूचना फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2012 दिनांक 13.12.2012 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2014

F. No. **PNGRB/M(C)/62/2014**.—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on 20th December, 2014.

2. Amendment of regulations 4 and 5.

In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, –

(a) in regulation 4, after the second proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided also that the transitional period may, after the completion of the extended transition period of two years, be further extended for another two years or lesser period as the Board may decide;"

(b) in regulation 5, after the first proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the determination of the petroleum and petroleum product pipeline transportation tariff shall be benchmarked against the goods tariff table of the railways as applicable on the date of the coming into force of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2014 and if the goods tariff table of the railways is revised during the further extended period of transition, the Board may consider and decide the benchmarking of the petroleum and petroleum products transportation tariff against such revision."

K. RAJESWARA RAO, OSD (R)

[ADVT.-III/4/Exty./188/14(230)]

Foot Note: Principal regulations were notified vide GSR 987(E) dated 20-12-2010 and subsequently amended vide Gazette of India, Extraordinary, Part III—Section 4 notification number F. No. PNGRB/M(C)/62/2012 dated 13.12.2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.